न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(15)

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5–तीन/07 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–11–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 315/04–05/अपील.

1– ओंकारलाल पुत्र फत्तेलाल
2– अवन्तीलाल पुत्र लक्ष्मीचन्द
3– लीलाधर पुत्र लक्ष्मीचन्द
निवासीगण ग्राम गुलवाड़ा
तहसील कुम्भराज जिला गुना .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मर्दन सिंह पुत्र जमनालाल
2– बृजमोहन पुत्र जमनालाल
3– रामचरण पुत्र घासीलाल मीना
4– गोपाल पुत्र धीरजसिंह मीना
निवासीगण ग्राम वालगुडा
तहसील कुम्भराज जिला गुना .....अनावेदकगण

श्री बृजेन्द्र धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/12/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–11–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, कुम्भराज जिला गुना के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण ग्राम गुलवाडा के निवासी हैं, और ग्राम गुलवाडा से कोरीपुरा बालगुडा व किशनपुरा तक आने–जाने का मार्ग पूर्व से ही कायम है, जिसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–13/2003–04 दर्ज कर दिनांक 4–10–2004 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ते से सिर्फ ग्रामवासी अर्थात मनुष्यों को ही निकलने के आदेश देते हुए अनावेदकगण द्वारा मवेशियों को अन्य रास्ते से ले जाने के निर्देश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, चाचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19–4–2005 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–11–2006 को आदेश पारित कर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वह स्वयं स्थल निरीक्षण कर नक्शे के अनुसार रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु सुनिश्चित करावें, और रास्ते में कोई अतिकमण हो तो उसे भी हटाया जावे । रास्ते में आने वाले सभी सर्वे नम्बरान के हितबद्ध कृषकों को भी साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत साक्ष्य ली जाकर महत्वपूर्ण जांच करने के उपरांत उभय पक्ष को सुनकर आदेश पारित किया गया है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि जब रूढ़िगत रास्ता शासकीय भूमि में से है तब व्यक्तिगत भूमि में से रास्ता देने का कोई औचित्य नहीं है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि जब रिक्त रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध है तब नया रास्ता आवेदकगण की भूमि में से नहीं दिया जा सकता है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि

प्रकरण में तहसील न्यायालय द्वारा बिना समुचित जांच किये आदेश पारित किया गया है, अतः अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में विधिवत स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है, और न ही प्रकरण में समुचित जांच की गई है । उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश की पुष्टि की गई है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है कि तहसीलदार स्वयं स्थल निरीक्षण कर नक्शे के अनुसार रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु सुनिश्चित करावें, और रास्ते में कोई अतिक्रमण हो तो उसे भी हटाया जावे । रास्ते में आने वाले सभी सर्वे नम्बरान के हितबद्ध कृषकों को भी साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाये, क्योंकि यदि नक्शे में कोई सार्वजनिक रास्ता है, तब उसे किसी के भी द्वारा अवरूद्ध नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय के समक्ष उभय पक्ष को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, जहां वे अपना पक्ष रख सकते हैं । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–11–2006 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर